

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड  
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग लखनऊ-22601

संख्या-611-ज0श0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2009-100(1)प्र0सु0/92. दिनांक 31 जुलाई, 2009.

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण सत्र 2009-2010 के सम्बन्ध में दिनांक 28.07.2009 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में निर्णयानुसार निम्नवत स्थानान्तरण नीति निर्गत की जाती है:-

- (1) स्थानान्तरण सत्र-2009-2010 में किसी भी संवर्ग में किसी भी श्रेणी के कर्मिकों के स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे। जिले के अन्तर्गत स्थानान्तरण पर कोई रोक नहीं होगी।
- (2) पदोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति, माननीय उच्च न्यायालय से सम्बन्धित आदेशों के प्रभाव से वांछित स्थितियों आदि में स्थान रिक्त होने पर तथा चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा एवं प्रशासनिक कारणों के आधार पर स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में कर्मिक के पद स्तर को देखते हुए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त स्थानान्तरण किये जा सकते हैं।
- (3) जनहित एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पावर कारपोरेशन सक्षम होंगे।

2. उपरोक्त स्थानान्तरण नीति सत्र-2009-2010, तत्काल प्रभावी होगी तथा अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या-611 (1)ज0श0 एवं प्र0सु0-01/पाकालि/2009 तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


- 1 सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध मुख्य महाप्रबन्धक/ निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
- 3 अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध मुख्य महाप्रबन्धक/निजी सचिव, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4 प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/केरको-कानपुर।
- 5 समस्त निदेशकगण से संबद्ध निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
- 6 समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, (लेखा एवं वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0/ उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/वि0वि0नि0लि0।
- 7 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8 अपर सचिव (का0प्र0-द्वितीय/अराजपत्रित/काविनी),/महाप्रबन्धक (औ0स0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

कमश:.....2 -

(2)

9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०/वि०वि० नि०लि०।
10. समस्त संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को टिप्पणी सं०-673/पाकालि/बैटक (79)/2009 दिनांक 31.07.2009 हेतु, अनुपालन आख्या के संदर्भ में।
12. अधिशारी अभियन्ता (वेब०), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ को वेबसाइट में अपडेशन हेतु।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/शिविर/प्रकोष्ठ, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०द्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

  
(रमा कान्त पाण्डेय)

संयुक्त सचिव (ज०श० एवं प्र०सु०)